सत्यमेव जयते

NeVA

डिजिटल विधानमंडलों के लिए

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

{राज्य का नाम} विधान सभा/परिषद में

कार्यान्वित करने के लिए

समझौता ज्ञापन

कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

और

{राज्य का नाम} सरकार

और

{राज्य विधानमंडल का नाम}

के बीच

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (इसमें इसके पश्चात **"त्रिपक्षीय एमओयू" कहा गया है) पर नीचे उल्लिखित पक्षकारों द्वारा ....(तारीख) को हस्ताक्षर किए गए हैं।**

प्रथम पक्षकार के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय संसद भवन, नई दिल्ली-110001 में है, इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

और

दूसरे पक्षकार के रूप में **{राज्य का नाम}** सरकार, इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

और

तीसरे पक्षकार के रूप में **{**राज्य विधानमंडल का नाम**}** (इसमें इसके पश्चात राज्य विधानमंडल कहा गया है), इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

भारत सरकार, {राज्य का नाम} सरकार, और {राज्य विधानमंडल का नाम} को इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से "पक्षकारों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

परिभाषाएं:

"प्रभावी तारीख" से **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर करने की तारीख अभिप्रेत है।

प्रस्तावना:

ई-विधान एमएमपी (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा) का उद्देश्य सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कागज रहित / डिजिटल विधानमंडल बनाना है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है और विषय-वस्तु को, जब भी उसकी उत्पत्ति होती है, सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी चर्चा में अधिक कारगर रूप से भाग लेने के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए नवीनतम आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने में सहायता करना भी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, (राज्य का नाम) सरकार और (राज्य विधानमंडल का नाम) ने सभी राज्य विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने और उनके कार्यचालन को कागज रहित बनाने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:

1. नेवा परियोजना का कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आशोधनों, यदि कोई हो, सहित परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से किया जाएगा और समझौता ज्ञापन के पक्षकार वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. परियोजना के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न रीति से उपलब्ध कराई जाएंगी:

   i) उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों को निधियां 90:10 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएंगी।
   ii) विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां 100% केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
   iii) अन्य राज्यों को निधियां 60:40 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएंगी।

   कहीं भी कोई और उल्लेख होने के बावजूद, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सभी सदनों के लिए रु.4,23.60 करोड़ होगी, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लागत और परियोजना के तहत जारी धन के समुचित उपयोग के अधीन होगी।

और तीसरा पक्ष एक विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डीपीआर) और गैप विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करेगा। दोहराव से बचने और गैप विश्लेषण रिपोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए मौजूदा कार्यात्मक आईसीटी उपकरणों का उपयुक्त उपयोग किया जाएगा।

3. निधियां (किश्तें) जारी करने के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

(i) पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर नेवा परियोजना और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।

(ii) दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

(iii) तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

(iv) चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

(v) उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

(vi) जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं उन्हें एक किस्त में समस्त धनाशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को नेवा के विभिन्न मॉड्यूलों के बारे में अभिविन्यास/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य विधानमंडल में अत्याधुनिक नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा सह ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। नेवा सेवा केंद्र (एन.एस.के.) में सभी आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण सहायक उपकरण और साथ ही दूरस्थ प्रशिक्षण के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ई-विधान एमएमपी पर प्रशिक्षण के लिए ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित की जाएगी।

4. मौजूदा नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हुए बताई गई विशेषताओं और अनुमान के अनुसार कम से कम तीन वर्ष की वारंटी के साथ हार्डवेयर/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद की जाएगी, मौजूदा कार्यात्मक हार्डवेयर/ बुनियादी ढांचे का उपयोग करना जारी रखा जाएगा। तथापि, उच्च विशेषताओं वाले हार्डवेयर सहित परिसंपत्तियों की खरीद की जा सकती है और अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को राज्य के हिस्सेदारी/अंशदान में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन, सदन हेतु परियोजना के लिए समग्र केंद्रीय अंशदान की अधिकतम राशि स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, यदि कोई विशेष विक्रेता बिना किसी अतिरिक्त लागत के तीन से अधिक वर्षों (जैसे 5 वर्ष) की वारंटी प्रदान करता है, तो अन्य सभी चीजें समान होने के नाते, ऐसे विक्रेताओं से खरीद को प्राथमिकता दी जा सकती है।

5. प्रत्येक राज्य विधानमंडल में जनशक्ति की तैनाती परियोजना दिशा-निर्देशों के पैरा 11 के अनुसार होगी।

6. पक्षकारों का दायित्व और जिम्मेदारियां निम्न रीति अनुसार होंगी:

(i) नेवा में इसके शुरू होने की तारीख से 36 मास की अवधि के लिए सहायता की जाएगी। परियोजना को परिभाषित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तथापि, जनशक्ति समर्थन के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी इस निमित्त किए गए प्रावधान के एक तिहाई तक सीमित होगी और शेष दो तिहाई राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) परियोजना पूरी होने पर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कार्यपालक प्राधिकारी को अंतरित किया हुआ माना जाएगा। उसके पश्चात नेवा अपनी लागत पर आईसीटी उपकरणों के रखरखाव, प्रतिस्थापन और उन्नयन सहित सभी प्रयोजनों के लिए विधानमंडल के स्वामित्व में आ जाएगी।

(iii) भारत सरकार केवल नेवा के रखरखाव और उन्नयन, एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं, परियोजना के पूरा होने और उसे राज्य विधानमंडल को सौंप देने के पश्चात उपयोगकर्ताओं के क्षमता निर्माण सहित सीपीएमयू की लागत वहन करेगी।

(iv) समय और लागत अधिक होने के कारण या अन्यथा होने वाला अतिरिक्त व्यय, यदि कोई होगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में परियोजना के लिए तैनात व्यक्ति के अलावा स्थायी कर्मचारियों को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

(v) नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु यदि अधिनियमों, नियमों और विनियमों में कोई संशोधन अपेक्षित होगा तो राज्य सरकार/विधानमंडल द्वारा किया जाएगा।

(vi) दूसरा पक्षकार/तीसरा पक्षकार मासिक/त्रैमासिक आधार पर या जैसा केंद्र सरकार द्वारा वांछित हो, की गई प्रगति के बारे में प्रथम पक्षकार को संसूचित रखेगा।

(vii) प्रथम पक्षकार तीसरे पक्षकार द्वारा नियोजित संविदात्मक जनशक्ति के किसी भी पद पर और किसी भी प्रकार के रोजगार या किसी कर्मचारी के रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के किसी भी दावे या देनदारी के लिए न तो जिम्मेदार होगा और न ही उत्तरदायी होगा।

(viii) दूसरा/तीसरा पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि प्रथम पक्षकार किसी कानूनी या अन्य प्रकार के ऐसे विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो दूसरे/तीसरे पक्षकार की ओर से की गई किसी कार्रवाई से उत्पन्न हो। ऐसे कार्यकलापों में कोई नुकसान होता है तो उसे दूसरे/तीसरे पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ix) दूसरे और तीसरे पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना के लिए अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों का रखरखाव और बीमा विद्यमान नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उचित रूप किया जाए और अतिरेक का प्रावधान निष्पादक प्राधिकारी की ओर से किया जाना चाहिए।

(x) दूसरे पक्षकार/तीसरे पक्षकार द्वारा या उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले पेटेंट या बौद्धिक पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी क्षति, व्यय और / या दावे के लिए दूसरा पक्षकार/तीसरा पक्षकार, प्रथम पक्षकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

(xi) यह सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रथम पक्षकार किसी भी समय बिना कारण बताए परियोजना को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह भी सहमति है कि यदि ऐसे कारणों से, जो प्रथम पक्षकार के नियंत्रण में नहीं हैं, परियोजना पूरी होने से पहले समाप्त हो जाती है, तो प्रथम पक्षकार कोई भी दायित्व नहीं उठाएगा।

(xii) यह सहमति व्यक्त की जाती है कि यह परियोजना प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यावधि समीक्षा और अंतावधि मूल्यांकन के अधीन होगी।

7. विवाद समाधान तंत्र

किसी भी विवाद के मामले में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इस समझौता ज्ञापन के पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने (......तारीख....) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संसदीय **कार्य मंत्रालय, भारत सरकार** के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए	**राज्य सरकार (राज्य का नाम)** के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए	**राज्य विधानमंडल (राज्य विधानमंडल का नाम)** के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए
नाम और पदनाम **(मोहर सहित)** **तारीख:**	**नाम और पदनाम** **(मोहर सहित)** **तारीख:**	**नाम और पदनाम** **(मोहर सहित)** **तारीख:**

साक्षी

1.___________________
नाम
पदनाम
पता
2.______________________
नाम
पदनाम
पता

1.___________________
नाम
पदनाम
पता
2.______________________
नाम
पदनाम
पता